प्रदर्श–"स"

प्रमाण पत्र

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को खनन कार्य हेतु कांकेर जिला में पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंण्डल के पोरोंडी पंचायत गांव मेटाबोदेली के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 50.000 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में निहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 50.00 हे0 एवं/राजस्त वन भूमि निरंक जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम मेटाबोदली पंचायत पोरोंडी तहसील पंखाजूर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 15–03–2013 (**प्रदर्श–"अ"**) एवं वन विभाग एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–"ब"**) पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव 15-03-13 ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति [illegible] की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 15-03-13 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 60% प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	निरंक	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15–03–2013 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा दिनांक 15–03–2013 /दिनांक............ के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

नाम (कलेक्टर)
उत्तर बस्तर कांकेर
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला..............................
(सील)

दिनांक– 30-4-2013